

Personal Memo. 1.
26.7.2020
(2) Nikhil Kumar Mondal
26-2-2020

तफसील :-जिला पाकुड़ थाना पाकुड़ महकूमा व निबंधन कार्यलय पाकुड़ परगने के
अधीन 168 मौजा बल्लभपुर नगर पलिका क्षेत्र अधीन स्थित। वार्ड न0 19

खेसरा	चौहददी	श्रेणी	रकवा
523 (पाँच सौ तैयीस)	उ0 रास्ता द0 3 फिट रास्ता पू0 दाग न0 523 प0 दाग न0 523	धानी दोयम 01-13-00 कट्टा मे से	(5 डिसमिल) 00-03-00 कट्टा (तीन कट्टा) सिर्फ चौहददी स्थित
मवाजी 00-03-00 कट्टा (5 डिसमिल)			

संगलन नक्शा मे बिक्रीत सम्पत्ति चिन्ह का द्योतक है।

बिदित हो कि उक्त मवाजी 00-03-00 (5 डिसमिल) सम्पत्ति जो कि हमलोगो ने पाकुड़ अवर निबंधन कार्यालय मे इसवी 2012 साल को 1359 न0 निबंधित बिक्रेय केवाला द्वारा कय कर तथा अंचल कार्यालय पाकुड़ पंजी II में अपना नाम दर्ज कराकर सलाना लगान देते हुए उक्त सम्पत्ति निर्विवाद में दखल भोग करते चला आ रहा हूँ। उक्त सम्पत्ति में मेरा अलावे अन्य किसी का स्वत्व सम्पर्क नहीं है। केवल हम ही उक्त सम्पत्ति का स्वयं अधिकारी है। अभी कई एक विविध कार्यो सम्पादन के लिये रुपये का परमावश्यक अविलम्ब प्रयोजन होने पर उक्त सम्पत्ति बेचने का प्रस्ताव किया और आप खरीदना स्वीकार किये उक्त सम्पत्ति का समयोचित उपरोक्त 00-03-00 सम्पत्ति का वास्तविक मुल्य :-180,000/- एक लाख आसी हजार रुपये मात्र आज हमने आपसे सम्पूर्ण रुपये प्राप्त किया तथा उक्त सम्पत्ति आपको बेचा और आज ही आपके दखल कब्जा में देकर एककालीन आल-औलद स्थानापन्न सहित हमेशा के लिये सारा स्वत्वत्यागी हुए। हम यह बिक्रेय केवाला द्वारा इकरार,वादा व घोषणा करता हूँ कि उक्त बिक्रीत सम्पत्ति में हमलोगो का जो कुछ स्वत्व, सम्पर्क, दखल, भोग, हक अधिकार आदी था तथा बर्तमान मे जो कुछ स्वत्वधीकार था। वह सब कुछ आज तिथि से हमलोगो से सम्पूर्ण रुप मे रदद व रहित हो कर आज तिथि से आपका हुआ। आप के तरह सारा स्वत्व मे एक मात्र स्वत्ववती व दखलकरीनी होकर दान-बिक्रय आदि सभी प्रकार हस्तांतर करने का एक मात्र क्षमतापन्न होकर आल-औलद स्थानापन्न सहित परमसुख मे दखलभोग करते रहेंगे, एवं जमीदारी सिरिस्ता मे प्रचलित नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्जपूर्वक निर्धारित सलाना लगान अदाय देकर प्रमाण्य सरकारी रसीद आदी ग्रहण करते रहेंगे। भविष्य मे उक्त बिक्रीत सम्पत्ति पर यदि मै या मेरा कोई भागी वारीसान या स्थानापन्न कोई कभी किसी भी प्रकार का दावी -दावा करूँ या करे, वह सभी जगह तथा न्यायालय मे नामंजुर व नाजायज होगा।



26/2/2020